

प्रेस नोट थाना सेहरामऊ दक्षिणी

जनपद- शाहजहाँपुर पुलिस

सराहनीय कार्य 16.11.2025

"ARRESTING WANTED ACCUSED"

थाना सेहरामऊ दक्षिणी पुलिस एवं एसटीएफ लखनऊ की संयुक्त कार्रवाई, थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 311/25 धारा 310(2)/317(3) बी.एन.एस मे दो वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, अवैध शस्त्र, नगद रूपये, दस्तावेज व घटना मे प्रयुक्त स्कूटी बरामदा

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर, महोदय के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी सेहरामऊ दक्षिणी के कुशल नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के क्रम में थाना सेहरामऊ दक्षिणी व एसटीएफ इकाई लखनऊ संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हालिस हुई।

थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु.अ.सं. 311/2025 धारा 304(2) बीएनएस बनाम अज्ञात अभियुक्तों के अनावरण हेतु एसटीएफ इकाई लखनऊ एवं थाना पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई। दिनांक 15.11.2025 को समय 22:46 बजे मुख्य खास की सूचना पर ग्राम नागरपाल पुल के निकट दो अभियुक्तगण—1. रवि मिश्रा पुत्र धर्मपाल उर्फ धनपाल निवासी ग्राम हडहा मलकापुर, थाना पाली, जिला हरदोई 2. गोपाल उर्फ ओमेन्द्र उर्फ मनीष पुत्र प्रेमपाल, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम सपहा, थाना अल्लागंज, जिला शाहजहाँपुर को पुलिस टीम द्वारा हिरासत में लिया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से मुकदमे से संबंधित माल, दो अदद तमंचा 315 बोर, दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा घटना में प्रयुक्त स्कूटी बरामद की गई है। अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण -

- रवि मिश्रा पुत्र धर्मपाल उर्फ धनपाल निवासी ग्राम हडहा मलकापुर थाना पाली जिला हरदोई आयु करीब 28 वर्ष।
- गोपाल उर्फ ओमेन्द्र उर्फ मनीष पुत्र प्रेमपाल निवासी ग्राम सपहा थाना अल्लागंज जिला शाहजहाँपुर आयु करीब 25 वर्ष।

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना सेहरामऊ दक्षिणी पर पंजीकृत अभियोग का विवरण -

- ✓ मु0अ0स0 311/25 धारा 310(2)/317(3) बी.एस.एन. व 3/25 आयुध अधिभुत

अभियुक्त रवि मिश्रा पुत्र धर्मपाल उर्फ धनपाल निवासी हडहा मलिकापुर थाना पाली जनपद हरदोई का आपराधिक इतिहास

- मु0अ0स0 115/25 धारा 115(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना अल्लागंज, शाहजहाँपुर
- मु0अ0स0 053/22 धारा 120बी/302/394/504/506/411 भादवि थाना रामपुर कलां जनपद सीतापुर
- मु0अ0स0 153/23 धारा 2(b)(i), 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना रामपुर कलां जनपद सीतापुर
- मु0अ0स0 0079/22 धारा 307 भादवि थाना रामपुर कलां जनपद सीतापुर
- मु0अ0स0 082/22 धारा 25(1B) आयुध अधिनियम थाना रामपुर कलां जनपद सीतापुर
- मु0अ0स0 7528/17 धारा 392/411 भादवि थाना इन्द्रापुरम जनपद गाजियाबाद
- मु0अ0स0 407/16 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद

8. मु0अ0स0 408/16 धारा 401 भादिव थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद
9. मु0अ0स0 412/20 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद
10. मु0अ0स0 398/16 धारा 379/411 भादवि थाना सेक्टर 58 गौतमबुद्धनगर

अभियुक्त गोपाल उर्फ मनीष उर्फ आमेन्द्र पुत्र प्रेमपाल निवासी सहपा थाना अल्लहागंज जनपद शाहजहांपुर का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 053/22 धारा 120बी/302/394/504/506/411 भादवि थाना रामपुर कलां जनपद सीतापुर
2. मु0अ0स0 079/22 धारा 307 भादवि थाना रामपुर कलां जनपद सीतापुर
3. मु0अ0स0 081/22 धारा 25(1)(B) आयुध अधिनियम थाना रामपुर कलां जनपद सीतापुर
4. धारा 135/23 धारा 2(b)(i), 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना रामपुर कलां जनपद सीतापुर

बरामदगी का विवरण –

- 1.दो अदद तमचा 315 बोर 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
2. कुल 25000/- रुपये नगद
3. 02 रजिस्टर
4. 01 फाईल
5. एक चेक बुक
6. 03 अदद सहकारी कृषक पंजिका पुस्तक 2025
7. एक पिछू बैग
- 8.02 अदद एन्ड्राइड मोबाईल फोन
9. एक अदद स्कूटी नम्बर UP 16 DW 5203 प्लेट

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्तगण—1. रवि मिश्रा पुत्र धर्मपाल उर्फ धनपाल निवासी ग्राम हडहा मलकापुर थाना पाली जिला हरदोई 2. गोपाल उर्फ आमेन्द्र उर्फ मनीष पुत्र प्रेमपाल उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी ग्राम सपहा थाना अल्लागंज जनपद शाहजहाँपुर ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 06.11.2025 को ग्राम सरोरी के पास समय लगभग 17:00 बजे जो लूट की घटना हुई थी, उसमें हम दोनों सक्रिय रूप से शामिल थे। अभियुक्त रवि मिश्रा ने बताया कि वह तथा गोपाल उपरोक्त, स्कूटी जुपिटर नीले रंग की (नं. UP 16 DW 5203) पर सवार होकर पहले चांदापुर सहकारी समिति के पास जाकर टारगेट की रेकी कर रहे थे। जब यह विश्वास हो गया कि टारगेट के पास उस दिन धनराशि मौजूद है, तो हम दोनों उसके पीछे-पीछे चल दिए। अभियुक्तों ने बताया कि सुनसान स्थान मिलने पर अपने अन्य साथियों—

- रामकिशन उर्फ भल्लू पुत्र इतवारी, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी ग्राम अल्लापुर सैदो थाना शाहबाद जिला हरदोई
- एन.डी. गाजी पुत्र नामालूम, निवासी अटवा असी गाँव, थाना अज्ञात, जनपद हरदोई
- अब्बास गाजी पुत्र नामालूम, निवासी अटवा असी गाँव, थाना अज्ञात, जनपद हरदोई
- छोटे यादव पुत्र सोनपाल यादव, निवासी ग्राम अल्लापुर सैदो थाना शाहबाद जिला हरदोई
- मामा (भल्लू का साला) नाम रामलड़ैत पुत्र भगवानदीन निवासी ग्राम मानपुर मालिकापुर थाना सेहरामऊ दक्षिणी जनपद शाहजहाँपुर एक अन्य अज्ञात अभियुक्त की सहायता से टारगेट को रोककर लूट की घटना को अंजाम दिया। अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि लूट करने के उपरांत वे दोनों उसी स्कूटी पर सवार होकर ग्राम पंथी की ओर भाग गए थे। स्कूटी रवि मिश्रा चला रहा था तथा गोपाल उर्फ आमेन्द्र उसके पीछे बैठा था। बाद में सभी साथियों के साथ मिलकर लूटी गई धनराशि को आपस में बांट लिया गया, जिसमें कुछ धनराशि उन्होंने मौज-मस्ती में खर्च कर दी तथा शेष धनराशि पुलिस द्वारा बरामद की जा चुकी है।

अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 श्री अशोक कुमार गुप्ता एस.टी.एफ ईकाई उ0प्र0 लखनऊ ।
2. है0का0 रुद्र नारायण उपाध्याय एस.टी.एफ ईकाई उ0प्र0 लखनऊ ।
3. है0का0 रवि वर्मा एस.टी.एफ ईकाई उ0प्र0 लखनऊ ।
4. है0का0 कोशेलेन्द्र प्रताप सिंह एस.टी.एफ ईकाई उ0प्र0 लखनऊ ।
5. है0का0 विजय वर्मा एस.टी.एफ ईकाई उ0प्र0 लखनऊ ।
6. उ0नि0 श्री इरफान अली थाना सेहरामऊ दक्षिणी जनपद शाहजहाँपुर ।
7. का0 2633 सौरभ राठी थाना सेहरामऊ दक्षिणी जनपद शाहजहाँपुर ।

